

सूचना बाबत ठेकेदारी के नवीनीकरण/पंजीकरण वर्ष 2017-18

जिला पंचायत, सम्भल के समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, सम्भल में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत करने जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दिए गए प्राविधानों एवं जिला पंचायत, सम्भल में प्रचलित ठेकेदारी उपविधि के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ठेकेदारों के नवीनीकरण/पंजीकरण हेतु दिनांक 15.05.17 तक प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक से आमंत्रित किए जाते हैं। ठेकेदारों के नवीनीकरण/पंजीकरण हेतु निम्न विवरण के अनुसार राजपत्रित द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति सूचना <http://sambhal.nic.in> पर देखी जा सकती है।

क्र.सं.	ठेकेदार की श्रेणी	टेण्डर की सीमा	नवीनीकरण/पंजीकरण शुल्क	हैसियत प्रमाण पत्र
01	प्रथम श्रेणी	पांच लाख से अधिक तक।	5,500.00	निर्माण कार्य की लागत के बराबर।
02	द्वितीय श्रेणी	दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक।	5,500.00	निर्माण कार्य की लागत के बराबर।
03	तृतीय श्रेणी	दस हजार रुपये से दो लाख रुपये तक।	5,500.00	निर्माण कार्य की लागत के बराबर।

- 1- आर्थिक क्षमता (हैसियत प्रमाण पत्र) एवं पूर्व प्रचलित संतोषजनक गतिविधियों सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र जनपद के जिला मजिस्ट्रेट से शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी, जो निर्धारित अवधि के अन्दर का हो।
- 2- पात्रता/माफिया गतिविधियों के सम्बन्ध में जारी किए गए शासनादेश के क्रम में नवीनीकरण/पंजीकरण हेतु अंकन ₹100/- के स्टाम्प पर शपथ पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण/पंजीकरण हेतु यदि यह प्रकार में आता है कि ठेकेदार अपात्र है तो उसका पंजीकरण/नवीनीकरण जिला पंचायत में स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 3- आयकर एवं वाणिज्यकर में पंजीकरण के साथ ही विभाग विगत वर्ष का अर्देय प्रमाण पत्र देना होगा। (आयकर एवं वाणिज्यकर के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा)
- 4- अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 5- किसी भी प्रार्थना पत्र का यदि सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त नहीं होगा तो प्राप्त आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 6- भविष्य में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप यदि किसी अन्य प्रपत्र की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा की स्थिति में पंजीकरण/नवीनीकरण स्वतः निरस्ता माना जायेगा।
- 7- जिला पंचायत, सम्भल के किसी अधिकारी/कर्मचारी एवं सदस्य जिला पंचायत, सम्भल से किसी प्रकार की रिश्तेदारी न होने का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

अभियन्ता

जिला पंचायत, सम्भल

पत्रांक 44/3/जि०पं०/ला०अनु०/2017-18

प्रतिलिपि:-

- 1- सम्पदाक, दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" एवं "अमर उजाला" को इस अवसर से कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने समाचार-पत्र में एक बार न्यूनतम स्थान एवं बारीक अक्षरों में प्रकाशित कराकर बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध करने का कष्ट करें।
- 2- कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

3- एन० आर्डी०सी० सम्भल।
Construction/Contractor Registration

अमर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सम्भल।
दिनांक 20/04/2017

अमर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सम्भल